Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में मारपीट की घटना कारित करने के आरोपी शोबिन्द्र, विक्रम व ब्रह्म सिंह को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर प्रत्येक को हुई 03 वर्ष के कारावास व 03 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1-शोबिन्द्र पुत्र रकम सिंह, 2-विक्रम व 3-ब्रह्म सिंह पुत्रगण आशराम निवासीगण ग्राम गढ़ी कलंजरी थाना चांदीनगर जनपद बागपत एवं अन्य के द्वारा वादी के घर में घुसकर मारपीट व गाली-गलौच की घटना कारित की गयी थी, जिनके विरुद्ध थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 163/2017 धारा 147/452/307/149/323/325/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 03.08.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी द्वितीय जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त शोबिन्द्र, विक्रम व ब्रह्म सिंह को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 03 वर्ष के कारावास व 03 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

नि0 श्री अतर सिंह प्रभारी मॉनिटरिंग सैल

श्री गगन गौड़ एडीजीसी

रि0 उ0नि0 श्री बालेश शर्माविवेचक

रि0का0 गौरव यादव कोर्टपैराकार

@baghpatpolice | baghpatpolice | Baghpat Police

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत **दिनांक- 03.08.2026**

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 553/2026 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 01 मो0सा0 हीरो स्प्लेण्डर प्लस नं0 UP-17J-0496 व फर्जी नम्बर प्लेट बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.08.2026 को थाना बडौत पर वादी आसिफ पुत्र अलीम निवासी छपरौली चुंगी कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा उसकी मोटर साइकिल स्प्लेण्डर नं0 UP-17-J-0496 को चोरी कर लिया गया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 553/2026 धारा 303(2) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 553/2026 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 01 मो0सा0 हीरो स्प्लेण्डर प्लस नं0 UP-17-J 0496 व फर्जी नम्बर प्लेट बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

संदीप पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की हुई मोटर साईकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस नं0 UP-17J-0496
- फर्जी नम्बर प्लेट।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकास चौहान थाना बडौत जनपद बागपत।
2-है0का0 750 सुनील कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
3-का0 982 नीरज थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा	दिनाँक 03.08.2026

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 270/26 धारा 109(1) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त काँच का एक टुकड़ा बरामद।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 02.08.2026 को थाना खेकड़ा पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त (वादिया का धेवता) निक्की पुत्र बबलू निवासी काशीराम कॉलोनी कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत द्वारा अपने भाई विक्की के पेट में जान से मारने की नीयत से कांच का टुकड़ा घौंप दिया, जिससे विक्की गम्भीर रूप से घायल गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 270/26 धारा 109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 270/26 धारा 109(1) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त काँच का एक टुकड़ा बरामद हुआ है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

निक्की पुत्र बबलू निवासी काशीराम कॉलोनी कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- **निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक कांच का टुकडा ।**

अभियुक्त निक्की का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 364/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 243/24 धारा 305/317(2)/324(4) बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकडा ।

2-का0 893 राहुल शर्मा थाना खेकडा ।